Mail/Fax
अति महत्वपूर्ण

बिहार सरकार

अनु० जाति० एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०–02जी / प्र०क०पदा०(स्था०)–20–07 / 2017– 1209

प्रेषक,

गौतम पासवान (बि०प्र०से०),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उप निदेशक कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 1/6/17

विषयः–''बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2010'' के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक–967 दिनांक–20.04.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध विभागीय अधिसूचना संख्या–508 दिनांक–12.03.2010 के द्वारा ''बिहार अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2010'' के नियम–6(घ) एवं नियम–8 में किये गये प्रावधानों के आलोक में आपके प्रमंडल / जिला में पदस्थापित जिन प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को हिन्दी–टिप्पण--प्रारूपण परीक्षा में एक वर्ष के अन्दर बगैर उत्तीर्णता प्राप्त किये प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि एवं बगैर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये द्वितीय एवं अन्य वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है, का समेकित स्पष्ट प्रतिवेदन (सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) दिनांक–26.04.17 तक उपलब्ध का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। यह अत्यंत हीं खेदजनक है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है कि उक्त के आलोक में समेकित स्पष्ट प्रतिवेदन(सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) दिनांक–07.06.17 तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा विभागीय आदेश की अवहेलना के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(गौतम पासवान)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02जी / प्र०क०पदा०(स्था०)–20–07 / 2017– 1209 पटना, दिनांक–1/6/17

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

1-6-17

सरकार के संयुक्त सचिव

163 Joint secretary